दिनांक: 16/01/2025

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(एपीडा)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

3-4थी मंजिल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग,

सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग,

दिनांक 15 जनवरी 2025

निविदा आमंत्रण सूचना

अनाहिम, यूएसए में 04 से 07 मार्च 2025 तक आयोजित "नैचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट" में "इंडिया पवेलियन" के डिजाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव के लिए मुहरबंद बोलियां आमंत्रित की जाती है

***

परिचय:

1.1. भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात संवर्धन का प्रमुख संगठन है।

2. नैचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट - 2024:

2.1 नैचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो वेस्ट, **प्राकृतिक, जैविक और स्वास्थ्य उत्पाद उद्योग** के लिए अग्रणी व्यापार शो में से एक है। एक्सपो खुदरा विक्रेताओं , निवेशकों, व्यापार जगत के नेताओं , प्रभावशाली लोगों और अन्य लोगों से आमने-सामने जुड़ने का एक अमूल्य अवसर प्रदान करता है।

2.2 एपीडा द्वारा नैचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट 2025 में भाग लिया जाएगा और भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के लिए इंडिया पवेलियन स्थापित किया जाएगा। यह इवेंट **04-07 मार्च, 2025 को अनाहिम, यूएसए** में आयोजित किया जाएगा।

3. असाइनमेंट:

3.1 एपीडा द्वारा उपरोक्त शो में इंडिया पवेलियन के निर्माण-कार्य , डिज़ाइन एवं अनुरक्षण के लिए इच्छुक कंपनियों से बोलियां आमंत्रित की जाती है।

3.2 इवेंट के लिए इंडिया पवेलियन का कुल क्षेत्रफल **170 वर्ग मीटर** है पवेलियन का लेआउट संलग्न है।

3.3 विस्तृत कार्य-क्षेत्र और आवश्यक बाध्यकारी शर्तें नीचे पैरा 5 से पैरा 7 में दी गई हैं।

4. बोलियां जमा करने के लिए पात्रता:

4.1 वे एजेंसियां, **जो पिछले पांच वित्तीय वर्षों से कार्य में हैं**, तथा समान प्लेटफार्म पर समान कार्य के निष्पादन में वांछित अनुभव/विशेषज्ञता के संदर्भ में निम्नलिखित योग्यता मानदंडों को पूरा करती हैं, तथा जिनकी वित्तीय स्थिति उपयुक्त है, वे बोली प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं।

4.2 पात्रता का मूल्यांकन

एजेंसी का नाम, पता, जीएसटी पंजीकरण सं, पैन कार्ड, पिछले पांच वित्तीय वर्षों का टर्नओवर, वांछित क्षेत्र में आयोजित इवेंट्स के नाम और वर्ष जैसे विवरण अनुलग्नक-1 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सहायक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ उल्लेखित किए जांएंगे। दस्तावेज केवल आवेदक संगठन के नाम पर होने चाहिए, न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर। सभी दस्तावेजों में आवेदक फर्म का नाम एक ही हो।

क्र. सं.	पात्रता मापदंड	अपेक्षित दस्तावेज़
4.2.1	एजेंसी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत के बाहर टर्नकी आधार पर पवेलियन के डिजाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव की आवश्यकता वाले कम से कम तीन (3) अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हों, जहां (क) प्रत्येक इवेंट के लिए पवेलियन का क्षेत्रफल 75 वर्ग मीटर से कम नहीं हो, तथा (ख) ऐसे इवेंट का वित्तीय मूल्य 20,00,000/- (बीस लाख रु. मात्र) लाख रुपये प्रति इवेंट से कम नहीं हो।	सीए प्रमाणपत्र जिसमें (**i)** एजेंसी के निगमन की तिथि, **(ii)** पिछले 5 वित्तीय वर्षों का वर्षवार कारोबार और **(iii)** पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान भारत के बाहर किए गए अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की संख्या , **(iv)** वर्षवार किए गए आयोजनों का नाम , स्थान और देश , एक प्रैक्टिसिंग सीए द्वारा हस्ताक्षरित (यूडीआईएन दर्शाते हुए) और एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, अनुलग्नक-2 के अनुसार दर्शाया गया हो।
4.2.2	एजेंसी को पिछले 5 वित्तीय वर्षों में से किसी भी तीन वर्षों के दौरान इवेंट मैनेजमेंट व्यवसाय (भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में पवेलियन के डिजाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव से संबंधित) से प्रति वर्ष **न्यूनतम 3,00,00,000, (तीन करोड़**	

	रुपये मात्र) रुपये का कारोबार अर्जित करना चाहिए। टर्नओवर केवल आवेदक संगठन के नाम पर होगा , न कि समूह/सहयोगी संगठन के नाम पर।	
4.2.3	एजेंसी को किसी भी सरकारी संगठन द्वारा <u>ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाना चाहिए।</u>	अनुलग्नक 3 के अनुसार घोषणा प्रस्तुत की जाएगी।

4.3 <u>आवेदान सह प्रसंस्करण शुल्क, ईएमडी और कार्य-निष्पादन प्रतिभूति:</u>

4.3.1 आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क और बयाना राशि (ईएमडी) निम्नानुसार प्रस्तुत की जाएगी।

I. नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में 15,000/- रुपये का गैर-वापसीयोग्य आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क + 18% जीएसटी = 2 ,700/- रुपये कुल 17 ,700/- रुपये (सत्रह हजार सात सौ रुपये)।

II. नई दिल्ली में देय में “एपीडा” के पक्ष में आहरित 5,00,000/- रुपये (पाँच लाख रुपये मात्र) के डीडी के रूप में ब्याज मुक्त बयाना जमाराशि (ईएमडी)। असफल बोलीदाताओं से प्राप्त ईएमडी एजेंसी के चयन के बाद उन्हें वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाताओं से प्राप्त ईएमडी को पैरा 4.3.4 के अनुसार संसाधित किया जाएगा।

4.3.2 पंजीकृत एमएसएमई/स्टार्ट-अप एजेंसियों को सरकारी नियमों के अनुसार ईएमडी जमा करने से छूट दी जाएगी।

4.3.3 सरकारी नियमों के अनुसार , एनएसआईसी और एमएसएमई पंजीकृत संगठनों को कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा करने से कोई छूट नहीं मिलेगी।

4.3.4 अनुबंध के मूल्य का पांच प्रतिशत (5%) या 5 ,00,000/- (पांच लाख रुपये) जो भी अधिक हो , चयनित एजेंसी द्वारा कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा की जाएगी। इसलिए , चयनित एजेंसी से प्राप्त 5 ,00,000/- रु. (पांच लाख रुपये) की ईएमडी को कार्य-निष्पादन प्रतिभूति के लिए समायोजित किया जाएगा। यदि बोली मूल्य का 5% 5.00 लाख रुपये से अधिक होता है , तो एजेंसी को एपीडा के पक्ष में डीडी के रूप में पांच लाख रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। दोनों राशियों को एक साथ लिया गया कार्य-निष्पादन प्रतिभूति माना जाएगा। सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के बाद कार्य-निष्पादन प्रतिभूति की राशि वापस कर दी जाएगी।

4 कार्य-क्षेत्र

5.1 <u>सामान्य दिशानिर्देश</u>

5.1.1 वर्तमान असाइनमेंट **"नैचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट 2025"** में "“इंडिया पवेलियन”" के लिए टर्नकी आधार पर डिजाइन/निर्माण-कार्य और रखरखाव कार्य करना है। स्पष्ट समझ के लिए, पूरे आरएफपी दस्तावेज़ को एक साथ पढ़ा जाए, और दस्तावेज़ में कहीं और उल्लिखित कर्तव्य भी एजेंसी के कर्तव्यों का हिस्सा होंगे।

5.1.2 “नैचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट 2025 ” में “इंडिया पवेलियन” का निर्माण-कार्य ड्राइंग/लेआउट में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा जिसमें डिस्प्ले प्रॉप्स/फर्नीचर, लाइट्स, कार्पेट, बिजली कनेक्शन, फेशिया, मार्ग क्षेत्र की कार्पेटिंग, टाइटल ग्राफिक्स आदि शामिल होंगे। ड्राइंग/लेआउट योजना संलग्न है।

5.1.3 कार्य में संयोजन, विखंडन, जल निकासी, सामग्री प्रबंधन, परिवहन, रखरखाव, पवेलियन खोलने से पहले दिन की सफाई और उसके बाद दैनिक अपशिष्ट निपटान से संबंधित सभी गतिविधियां शामिल होंगी।

5.1.4 इंडिया पवेलियन के लिए आरक्षित स्थान पर पवेलियन उपलब्ध कराने और निर्माण के लिए निर्धारित तिथि और उससे संबंधित अन्य दिशा-निर्देश आयोजक की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। पवेलियन/स्टॉल के निर्माण, स्टॉल की ऊंचाई आदि से संबंधित स्थान प्रदान करने वाले प्राधिकरण द्वारा लगाए गए शर्तों/प्रतिबंधों की अग्रिम जानकारी के लिए एजेंसी को नैचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट 2025 आयोजन स्थल यानी https://www.expowest.com/en/home.html पर जाने की सलाह दी जाती है। एजेंसी को डिजाइनिंग , रखरखाव, बिजली, ब्रांडिंग आदि सभी मामलों में वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों/नियमों का पालन करना होगा। **हालांकि, एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संपूर्ण “इंडिया पवेलियन” सभी मापदंडों पर 3 मार्च, 2025 को शाम 4.00 बजे (आईएसटी) तक पूरा हो जाना चाहिए।**

5.1.5 प्रस्तावित “इंडिया पवेलियन” को **पूर्णतः लकड़ी की सामग्री** का उपयोग करके डिजाइन और विकसित किया जाएगा। कार्य-क्षेत्र में निम्नलिखित सुविधाओं का डिजाइन, विकास और रखरखाव शामिल होगा:

i. थीम/सामान्य एरिया (प्रदर्शक स्टॉल को छोड़कर) (पैरा 5.2)

ii. प्रदर्शक स्टॉल (पैरा 5.3)

iii. वेट सैम्पलिंग एरिया (पैरा 5.4)

iv. ब्रांडिंग इंडिया/भारत (पैरा 5.5)

v. अन्य गतिविधियां/कर्तव्य (पैरा 5.6)

5.2 थीम/सामान्य एरिया के लिए विनिर्देश

5.2.1 लगभग 36 वर्ग मीटर का थीम एरिया बेज रंग के लकड़ी के फर्श और एलईडी लाइट के साथ प्लेटफॉर्म से अलग होगा। **थीम भारतीय जैविक उत्पाद होंगे। थीम एरिया के डिजाइन के लिए एक सैंपल संलग्न है।**

5.2.2 आगंतुकों द्वारा सैंपलिंग और टेस्टिंग के लिए किसी प्रतिष्ठित भारतीय रेस्तरां के पेशेवर शेफ द्वारा भारतीय व्यंजन पकाने के लाइव डेमो के लिए एक क्षेत्र तैयार किया जाएगा। एजेंसी को सभी चार दिनों के लिए परिवहन, डिलीवरी, क्रॉकरी, व्यंजनों की तैयारी और परोसने की उचित व्यवस्था करनी होगी। लाइव कुकिंग और सैंपलिंग के साथ-साथ पानी और जल निकासी का प्रावधान किया जाएगा, समग्र स्वच्छता और सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। (कृपया पैरा 5.5.1 भी देखें)

5.2.3 8 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता वाला एक खुला बैठक लाउंज स्थापित किया जाएगा, जिसमें सजावटी आंतरिक भाग होगा, जो कांच, ऐक्रेलिक या लाइक्रा सामग्री से ढका होगा तथा पानी , पेय पदार्थ और नाश्ते की व्यवस्था होगी।

5.2.4 रिसेप्शन एरिया में ग्लास , ऐक्रेलिक या लाइक्रा सामग्री के बैकलिट कोलाज का बैकग्राउंड होगा और निम्नलिखित मदों से सुसज्जित की जाएगी:

i. दो कस्टम-निर्मित रिसेप्शन टेबल , जिसमें लॉक करने योग्य काउंटर और दोनों तरफ एपीडा लोगो और दो व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था के साथ फ्रंट ट्रांसलाइट हो,

ii. भारतीय कृषि उत्पादों के प्रदर्शन के लिए पूर्ण आकार के दो लॉक करने योग्य शोकेस,

iii. ब्रोशर, प्रदर्शक निर्देशिका आदि प्रदर्शित करने के लिए स्टैंड।

iv. ऑर्गेनिक हिना टैटू के लिए एक स्टैंडी (कृपया पैरा 5.6.5 भी देखें)

v. उचित प्रॉप्स के साथ फोटो बूथ/सेल्फी पॉइंट।

vi. भारत के किसी भी दो जैविक उत्पादों को उजागर करने वाले दो (2) शुभंकर।

vii. एपीडा' और 'इंडिया ऑर्गेनिक' ब्रांडेड कॉलर वाली टी-शर्ट (मात्रा 500) , कपड़े का बैग (मात्रा 500 , लंबाई-18 इंच, चौड़ाई-12 इंच दोनों तरफ ब्रांडिंग के साथ)), मेहमानों के लिए आकर्षक बैज/लैपल पिन (मात्रा 500)।

5.2.5 एजेंसी को एपीडा थीम पवेलियन में **3 x 2 मीटर आकार की एक एलईडी स्क्रीन** लगाने की व्यवस्था करनी होगी, जिसमें विज्ञापन के लिए प्रदर्शकों के प्रचार वीडियो प्रदर्शित करने के लिए अच्छी दृश्यता हो। एजेंसी एपीडा पवेलियन में ऐसी एलईडी स्क्रीन पर अपने उत्पादों के विज्ञापन वीडियो चलाने के लिए प्रदर्शकों के साथ समन्वय भी करेगी। इसके लिए प्रदर्शक को एपीडा द्वारा निर्धारित दरों पर एपीडा को भुगतान करना होगा। उत्पादों का वीडियो प्रदर्शक द्वारा आपूर्ति किया जाएगा और एजेंसी इसे स्क्रीन पर चलाने के लिए आवश्यक प्रारूप में परिवर्तित करेगी।

5.2.6 पेंट्री सहित एक स्टोरेज एरिया बनाया जाएगा जिसमें पीने के पानी , चाय/कॉफी, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक केतली, रेफ्रिजरेटर के साथ स्नैक्स , कुकीज़, काजू, पीने का पानी , जूस, चाय, ग्रीन टी, कॉफी आदि की पर्याप्त आपूर्ति सभी दिनों के लिए आगंतुकों के लिए उपलब्ध होगी।

5.2.7 एपीडा के लिए सभी सामान्य क्षेत्रों को ऊंचा फर्श बनाकर अलग किया जाएगा। सामान्य क्षेत्र में एपीडा की ब्रांडिंग के साथ बैक-लिट ग्राफिक्स पैनल प्रदान किए जाएंगे।

5.2.8 संपूर्ण पवेलियन पर्याप्त सफेद रोशनी से जगमगाएगा ताकि प्रदर्शक स्टालों सहित पूरे पवेलियन में अंधेरा न रहे।

5.2.9 नैचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट 2025 में प्रदर्शित किए जाने वाले उत्पाद एपीडा द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। एजेंसी एपीडा के दिल्ली कार्यालय से **नैचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट 2025** में एपीडा पवेलियन तक उत्पादों के परिवहन के लिए एपीडा अधिकारियों के साथ समन्वय करेगी। माल ढुलाई और सीमा शुल्क की लागत वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। एजेंसी लागत की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए ऐसी सामग्री की मात्रा और वजन से संबंधित उचित रिकॉर्ड रखेगी। प्रदर्शन के लिए उत्पादों में तैयार खाद्य पदार्थ/करी, ताजे और जमे हुए फल और सब्जियां तथा उनकी तैयारियां , चटनी, अचार, खीरा, वाइन, मिलेट्स और उनके उत्पाद आदि शामिल होंगे।

5.3 <u>प्रदर्शक स्टॉल के लिए विनिर्देश</u>

5.3.1 एजेंसी प्रदर्शकों के लिए "इंडिया पवेलियन" में अधिकतम संख्या में स्टॉल बनाने का काम करेगी , जिसमें प्रत्येक स्टॉल का कार्पेट एरिया 9 वर्ग मीटर (एपीडा द्वारा प्रदान की गई डिजाइन/लेआउट योजना के अनुसार) होगा। हालांकि यह सांकेतिक आकार है , लेकिन लेआउट की योजना इस तरह से बनाई जा सकती है कि अधिकतम संख्या में स्टॉल बनाए जा सकें ताकि जगह का बेहतर उपयोग किया जा सके। स्टॉल की संख्या और आकार के बारे में अंतिम निर्णय एपीडा के पास है। **प्रदर्शक स्टॉल का नमूना संलग्न है।**

5.3.2 एजेंसी को प्रत्येक स्टॉल के लिए 3 ' x 6' आकार के 3 पैनल पोस्टर तैयार करने होंगे , जिनका कुल क्षेत्रफल 18 वर्ग फीट होगा। एजेंसी द्वारा तैयार किए गए पैनल और पोस्टर आयाम में समान होने चाहिए और मुद्रण गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए।

5.3.3 एजेंसी को बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदर्शकों द्वारा उपलब्ध कराए गए डिजाइन के अनुसार पोस्टरों की छपाई, आपूर्ति और चिपकाने का काम सुनिश्चित करना होगा।

5.3.4 एजेंसी को संबंधित प्रदर्शकों से टीपी/डिजाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। एजेंसी द्वारा तैयार किए गए पैनल और पोस्टर समरूपता बनाए रखने के लिए आयामों में समान होने चाहिए।

5.3.5 <u>सभी वैयक्तिक स्टॉल लकडी की सामग्री से निर्मित होंगी और आधुनिक समकालीन और मनोहर दृष्टिकोण प्रदर्शित करेंगी।</u> सभी व्यक्तिगत स्टॉल लकड़ी की सामग्री से बने होने चाहिए और एक आधुनिक, समकालीन और सुरुचिपूर्ण दृश्य प्रस्तुत करना चाहिए। स्टॉल को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि यह प्रदर्शकों को अपने उत्पादों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने और संभावित खरीदारों/आगंतुकों के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है। प्रत्येक व्यक्तिगत स्टॉल को (i) नई खरीदी गई दीवार कालीन के लिए उचित दीवार, (ii) बैक लिट व्यक्तिगत फ़ेशिया , (iii) 4 कुर्सियाँ, (iv) 1 गोल मेज , (v) 1 बेकार कागज की टोकरी , (vi) 6 डिस्प्ले शेल्फ़, (vii) भंडारण के साथ 1 लॉक करने योग्य काउंटर , (viii) 1 पावर पॉइंट सॉकेट , और (ix) 100 वाट की 6 लाइटें प्रदान की जानी चाहिए।

5.4 <u>ब्रांडिंग "भारत (इंडिया)"</u>

5.4.1 एजेंसी आयोजकों द्वारा अनुमत अधिकतम ऊंचाई तक पवेलियन में **एपीडा और इंडिया ऑर्गेनिक ब्रांडिंग** के प्रचार की व्यवस्था करेगी। एपीडा और **इंडिया ऑर्गेनिक ब्रांडिंग** को आधुनिक, न्यूनतम, समकालीन और सुरुचिपूर्ण रूप देना चाहिए जो डिजाइन तत्वों और रंगों से परिपूर्ण हो। "भारत में उगाया गया , दुनिया के लिए" के विचार को दृश्य रूप से प्रदर्शित करें।

5.4.2 एजेंसी विभिन्न प्रमुख स्थानों पर **अंग्रेजी और हिंदी** में "भारत" शीर्षक दर्शाने वाले अग्रभाग बोर्ड/ग्राफिक्स बनाना और लगाना सुनिश्चित करेगी।

5.4.3 **इंडिया ऑर्गेनिक (अंग्रेजी और हिंदी में) की बैकलिट ब्रांडिंग** और एपीडा लोगो पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आयोजक के दिशा-निर्देशों के अनुसार इसकी लंबाई 3 मीटर और अधिकतम स्वीकार्य ऊंचाई होनी चाहिए।

5.4.4 प्रचार सामग्री के लिए, एजेंसी एपीडा द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी के आधार पर संपादन, प्रूफ रीडिंग और मूल्य संवर्धन के साथ सामग्री विकसित करेगी , जिसे पूर्ण कलाकृति और डिजाइन पर मुद्रित/निर्मित किया जाएगा।

5.4.5 एजेंसी को सामान्य ब्रांडिंग बैनर उपलब्ध कराने होंगे जो कि बिना किसी रिंकल्स के स्ट्रेचेबल लाइक्रा या फ्लेक्स से बने होने चाहिए ताकि पवेलियन के समग्र स्वरूप में रिंकल्स न पड़ें। इन बैनरों में चमकदार-सफेद लाइटिंग होंगी।

5.4.6 इवेंट आयोजक द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी ब्रांडिंग प्रावधानों की खरीद का समन्वय एपीडा की ओर से एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

5.5 वेट सैम्पलिंग एरिया के लिए विनिर्देश

5.5.1 वेट सैंपलिंग एरिया में **भारत से जैविक उत्पादों की वेट सैंपलिंग के लिए किसी प्रतिष्ठित भारतीय रेस्तरां के पेशेवर शेफ द्वारा लाइव कुकिंग** की व्यवस्था होनी चाहिए। वेट सैंपलिंग एरिया को देखने में आकर्षक और पारंपरिक भारतीय लकड़ी की गाड़ी या खेत के स्टॉल जैसा दिखना चाहिए , जिस पर प्रत्येक उत्पाद की उत्पत्ति और लाभों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वेट सैंपलिंग एरिया साफ-सुथरा हो , और बांस या रिसाइकिल किए गए कागज जैसे पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों से बने डिस्पोजेबल कप में सेवा दी जाए।

5.5.2 ऐसे क्षेत्र में निर्दिष्ट जैविक पेय पदार्थों , जैविक बासमती चावल , जैविक मिलेट्स उत्पादों और जैविक खाद्य उत्पादों के प्रदर्शन और स्वाद के लिए प्रदर्शन काउंटर, अलमारियां, गोल मेज, कुर्सियां आदि होंगी।

5.5.3 खाना पकाने और नमूना लेने के लाइव डेमो के लिए पानी और जल निकासी की व्यवस्था की जानी होगी।

5.5.4 एजेंसी को नीचे उल्लिखित मात्रा के अनुसार गीले नमूने का आयोजन करना होगा:

(क) प्रतिदिन वेज बिरयानी के लिए 10 किलो बासमती चावल
(ख) प्रतिदिन नॉन-वेज बिरयानी के लिए 10 किलो बासमती चावल
(ग) पास्ता, नूडल्स, खिचड़ी और अन्य व्यंजनों के लिए प्रतिदिन 5 किलो मिलेट्स
(घ) पूरे दिन के लिए ऑर्गेनिक चाय/कॉफी, ऑर्गेनिक हल्दी लट्टे आदि
(ड.) केला, अनार, अंगूर आदि जैसे ताजे और जैविक फलों के नमूने लेने का प्रावधान किया जाएगा।

एजेंसी को सैंपलिंग के लिए भारतीय बासमती चावल और एनपीओपी प्रमाणित चाय, कॉफी और हल्दी का उपयोग सुनिश्चित करना होगा। एजेंसी परिवहन, डिलीवरी, क्रॉकरी, पेशेवर शेफ द्वारा तैयारी और व्यंजनों को परोसने की उचित व्यवस्था करेगी। भुगतान नियमानुसार किया जाएगा।

5.5.5 वेट सैंपलिंग एरिया में उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए कोई अलग राशि देय नहीं होगी।

5.5.6 **इंटरैक्टिव डिजिटल डिस्प्ले:** एजेंसी आगंतुकों के लिए नमूना स्टेशन के साथ में क्यूआर कोड लगाएगी ताकि वे स्कैन कर सकें और उत्पाद की उत्पत्ति, स्वास्थ्य लाभ और खाना पकाने की विधि के बारे में जान सकें।

5.6 <u>अन्य गतिविधियाँ/कर्तव्य:</u>

5.6.1 (i) एजेंसी (क) प्रदर्शकों के साथ-साथ (ख) आगंतुकों से **फीडबैक** प्राप्त करने की प्रणाली विकसित करेगी। प्रमुख स्थानों पर क्यूआर कोड पॉइंट के साथ-साथ आवश्यक श्रमशक्ति के साथ एक उपयुक्त आईटी आधारित प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी। तकनीकी प्रस्तुति के दौरान इस गतिविधि के लिए एक डेमो दिखाया जाएगा।

(ii) एजेंसी खरीदारों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का रिकॉर्ड रखेगी और एपीडा को प्रस्तुत करेगी।

5.6.2 एजेंसी को बिजली आपूर्ति और मुख्य विद्युत कनेक्शन, जल आपूर्ति और अन्य सहायक प्रणाली आदि के संबंध में आयोजक के दिशा-निर्देशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

5.6.3 एजेंसी अनुमानित बिजली भार (मुख्य बिजली/बिजली कनेक्शन) का आकलन करेगी और एपीडा की ओर से तथा उसके परामर्श से बुक करेगी। <u>एपीडा पवेलियन में बिजली के त्रुटिरहित वितरण की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।</u> एजेंसी के बिलों के भुगतान के समय सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर एपीडा द्वारा वास्तविक आधार पर आवश्यक बिजली शुल्क और पानी के शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। हालांकि , प्रदर्शकों को निर्धारित सीमा से अधिक बिजली भार का भुगतान प्रदर्शकों द्वारा किया जाएगा। <u>एजेंसी प्रदर्शकों से इसके लिए शुल्क वसूल करेगी। एपीडा किसी भी अतिरिक्त बिजली भार के लिए भुगतान नहीं करेगा।</u>

5.6.4 एजेंसी को भारतीय वेशभूषा में तैयार 2 महिला परिचारिका-सह-दुभाषिया तथा 2 पुरुष परिचारिकाओं का प्रावधान करना होगा, जो इवेंट के सभी दिनों के लिए पवेलियन में उपस्थित रहेंगे।

5.6.5 एजेंसी को आगंतुकों के हाथों पर जैविक मेंहदी लगाने का प्रावधान करना होगा और इसमें पर्याप्त श्रमशक्ति , सामग्री और उपकरण का प्रावधान शामिल होगा।

5.6.6 एजेंसी पवेलियन के निर्माण-कार्य और रखरखाव तथा इवेंट के अंत तक समन्वय के लिए स्थल पर उपयुक्त श्रमशक्ति की उपस्थिति की व्यवस्था करेगी।

5.6.7 एजेंसी को इवेंट के सभी दिनों में लगभग 10 (दस) लोगों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले शाकाहारी/मांसाहारी नाश्ते और दोपहर के भोजन की भी उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी।

5.6.8 एजेंसी उद्घाटन के दिन वीआईपी अतिथियों के लिए 5 (पांच) गुलदस्ते और जलपान की व्यवस्था करेगी।

5.6.9 एजेंसी एपीडा पवेलियन में आने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए एपीडा लोगो और ऑर्गेनिक ब्रांडिंग के साथ दस (10) कॉर्पोरेट उपहारों की व्यवस्था करेगी , जिनकी लागत 4,000/- (चार हजार रुपये) से अधिक नहीं होगी। इसका बिल एपीडा को साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा।

5.6.10 एजेंसी उद्घाटन के दिन पूरे एपीडा पवेलियन और प्रदर्शनी क्षेत्र को विभिन्न एंगल्स से कवर करने के लिए एक पेशेवर फोटोग्राफर और 1 वीडियोग्राफर द्वारा माइक के साथ उच्च रिज़ॉल्यूशन की स्थिर फोटोग्राफी/ठीक से संपादित वीडियो की व्यवस्था करेगी ताकि हितधारकों - गणमान्य व्यक्तियों, निर्यातकों, अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और आगंतुकों के 30-60 बाइट्स/प्रशंसापत्र डिजिटल मीडिया प्रसार और प्रेस सूचना के लिए कैप्चर किए जा सकें। इवेंट के दौरान हर समय

कवरेज उपलब्ध होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर हाइलाइट्स को लाइव पोस्ट/प्रसारित किया जा सके।

5.6.11 डिजिटल मीडिया प्रचार के लिए इवेंट के बाद एक्सपो का 3 मिनट का वीडियो प्रस्तुत करना होगा।

5.6.12 एजेंसी, पोस्टर लगाने तथा अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए एपीडा प्रदर्शकों के साथ समन्वय करेगी , यदि उनका अनुरोध हो।

5.6.13 एजेंसी निम्नलिखित दस्तावेजों के निर्माण और मुद्रण का प्रावधान करेगी , जो **क्यूआर कोड आधारित और मोबाइल पर डाउनलोड करने योग्य** होने चाहिए:

(क) प्रदर्शक निर्देशिका (अंग्रेजी में) की 500 प्रतियां (आकार: 6 x8 इंच लगभग) जिसमें नैचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट-2025 के प्रतिभागियों का विवरण शामिल है (जिनमें से 10 प्रतियां बिलों के साथ दिल्ली स्थित एपीडा कार्यालय में जमा की जाएंगी।

(ख) एपीडा का कॉर्पोरेट ब्रोशर (500 प्रतियां, आकार 7 इंच x 9.5 इंच) अंग्रेजी में।

5.6.14 एजेंसी को प्रदर्शनी के प्रत्येक दिन की गतिविधियों के शुरू होने से पहले पूरे पवेलियन के उचित रखरखाव और नियमित सफाई की व्यवस्था करनी होगी।

5.6.15 एजेंसी को "इंडिया पवेलियन" में तथा उसके आसपास पूर्ण अग्नि निवारण एवं अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी।

5.6.16 एजेंसी संगठन द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं से संबंधित प्रदर्शकों की चिंताओं के समाधान की व्यवस्था करेगी।

5.6.17 एजेंसी को इस संबंध में शो आयोजक/स्थल मालिक के दिशा-निर्देशों के अनुसार इवेंट के समापन के बाद सभी फर्नीचर, फिक्सचर और अन्य सामग्री को हटाने के बाद पवेलियन स्थल का खाली और साफ किया हुआ मेला आयोजक को सौंपने की व्यवस्था करनी होगी।

6 अन्य निर्देश- सामान्य

6.1 एपीडा का बिजनेस सेंटर कंप्यूटर/लैपटॉप , इंटरनेट (वाई-फाई) और फोटोकॉपी मशीन सहित प्रिंटर से सुसज्जित होगा।

6.2 एजेंसी द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे दीवार पैनल , लकड़ी की सामग्री , फर्नीचर, प्रदर्शन सहायक उपकरण आदि अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए तथा रंग , आकार, सौंदर्य आदि में एक समान होने चाहिए। एजेंसी तकनीकी समिति के समक्ष उपलब्ध कराए जाने वाले फर्नीचर की तस्वीरें प्रदर्शित करेगी।

6.3 एजेंसी की जिम्मेदारी प्रदर्शनी के दौरान निर्यातकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना होगी , जिसमें प्रदर्शक बैज, आगंतुक पास, प्रवेश पास, निकास पास, श्रमिक पास आदि का वितरण शामिल है।

6.4 एजेंसी को स्थल के उपयोग और योजनाओं आदि के अनुमोदन के लिए संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज और आवेदन पत्र समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होगा।

6.5 एजेंसी एपीडा द्वारा अंतिम रूप दिए गए रंग के अनुसार पूरे इंडिया पवेलियन के लिए नए खरीदे गए कालीनों की व्यवस्था करेगी।

6.6 एजेंसी निर्माण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करेगी और साथ ही वॉल पैनल, फर्नीचर, प्रदर्शन सहायक सामग्री आदि बनाने के लिए योग्य कारीगरों को नियुक्त करेगी।

6.7 एजेंसी को कार्यक्रम स्थल खाली करने और अनुमोदित एजेंसी को सौंपने से पहले शो आयोजकों और अन्य विक्रेताओं से संबंधित सभी बकाया राशि के निपटान और/या भुगतान की व्यवस्था करनी होगी।

अन्य निर्देश – तकनीकी

6.8 पवेलियन की अवधारणा/डिजाइन, लेआउट, सजावट योजना आदि को हार्ड कॉपी के साथ-साथ पेन ड्राइव में भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एजेंसी को एपीडा पवेलियन की 3डी छवियां/प्रस्तुति (हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों) प्रदान करनी चाहिए, जिसमें विभिन्न कोणों से एपीडा पवेलियन का पूरा प्रक्षेपण स्पष्ट रूप से दिखाया गया हो। इसमें 9 वर्ग मीटर/12 वर्ग मीटर के मानक बूथ का पूरा 3डी लुक भी दिखाना होगा , जिसमें संपूर्ण डिस्प्ले एड्स और फर्नीचर शामिल हों। 3डी प्रेजेंटेशन में सामग्री , संदेश, कथा, कलाकृति, डिजाइन, ग्राफिक्स आदि भी विस्तार से शामिल होने चाहिए। एजेंसी द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे दीवार पैनल, लकड़ी की सामग्री, फर्नीचर, डिस्प्ले एड्स आदि अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता की होनी चाहिए।

7. नियम एवं शर्तें

7.1 एपीडा के दिशा-निर्देशों एवं मार्गदर्शन में अनुमोदित एजेंसी कार्य करेगी। यह सुनिश्चित करना एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि एपीडा के लिए उनके द्वारा की गई सभी गतिविधियां कानूनी ढांचे के अनुसार हों।

7.2 एपीडा की अपेक्षा है कि इस अनुबंध का निष्पादन करने वाली एजेंसी, अनुबंध की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करे तथा एजेंसी की कार्रवाई सतर्कता जांच के दायरे में न आए।

7.3 एपीडा कार्य प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित किया जाता है कि प्रस्ताव के लिए अनुशंसित एजेंसी अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।

7.4 एपीडा के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है:

(i) पवेलियन और ग्राफिक्स के डिजाइनिंग के कॉपी राइट पर स्वामित्व।

(ii) किसी भी स्तर पर डिज़ाइन योजना में मामूली बदलाव करना।

(iii) अपने विवेक से आवेदनों/बोली दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा बढ़ाना।

(iv) बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना, अनुबंध/आदेश देने से पहले किसी भी समय किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना।

(v) परियोजना को स्थगित करना, चयनित पार्टी के साथ अनुबंध को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी भी समय रद्द करना यदि एपीडा की राय में यह जनहित में आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और

बाध्यकारी होगा। एपीडा उपरोक्त कार्रवाई से हुई या उत्पन्न किसी भी क्षति या हानि के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा।

(vi) अनुबंध के नियमों और शर्तों को संशोधित करना जो सफल बोलीदाता को बोली प्रक्रिया के बाद प्रदान किया जाएगा, यदि एपीडा की राय में, सार्वजनिक हित में या परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

7.5 इस दस्तावेज़ के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए एपीडा का निर्णय अंतिम और बोलीदाता के लिए बाध्यकारी होगा।

8. चयन प्रक्रिया

8.1 चयन प्रक्रिया में बोली-पूर्व बैठक, प्राप्त बोली दस्तावेजों का मूल्यांकन, चयन समिति के समक्ष बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुतिकरण तथा दस्तावेजों और प्रस्तुतिकरण के अंकों के आधार पर बोलीदाताओं की अंक-पत्रिका तैयार करने के लिए वित्तीय बोलियों को खोलना शामिल है।

8.2 बोली-पूर्व बैठक के विवरण एपीडा की वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए बोली-पूर्व बैठक के विवरण की प्रतीक्षा करें।

8.3 **बोलियों का मूल्यांकन:**

8.3.1 एपीडा की एक समिति प्राप्त दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच करेगी और निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली बोलीदाता एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्टलिस्ट की गई एजेंसियों को चयन समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति देनी होगी।

8.3.2 बोलियों का मूल्यांकन दो चरणों में किया जाएगा – पहला, तकनीकी मूल्यांकन, और दूसरा, वित्तीय बोली खोलना।

8.3.3 बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के लिए, एपीडा द्वारा निर्दिष्ट तिथि और समय पर बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चयन समिति के समक्ष एक प्रस्तुति आयोजित की जाएगी।

8.3.4 प्रस्तुति के अंक निम्नलिखित क्षेत्रों में क्रेडेंशियल के लिए दिए जाएंगे:

क्र.सं.	**क्षेत्र**	**अधिकतम अंक**
(i)	समग्र अवधारणा व डिज़ाइन	**30**
(ii)	पवेलियन और प्रदर्शक स्टॉल के संदर्भ में डिजाइन का समग्र सौंदर्य , मंडप और प्रदर्शनी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित नवीन विचार और आगंतुकों की सहभागिता। तकनीकी नवाचार और नए विचारों को उच्च श्रेणी में रखा जाएगा।	**30**
(iii)	एजेंसी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत के बाहर कम से कम तीन अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किए हों, जिनमें टर्नकी आधार पर पवेलियन के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव की आवश्यकता हो जहाँ	**5**

<table>
<tr>
<td></td>
<td>(क) प्रत्येक इवेंट के लिए पवेलियन का क्षेत्रफल 75 वर्ग मीटर से कम न हो, और
(ख) प्रत्येक ऐसे इवेंट का वित्तीय मूल्य 20.00 लाख रुपये (बीस लाख रुपये मात्र) प्रति इवेंट से कम न हो।
अंकों का विवरण नीचे दिया गया है:
<table>
<tr><td>क. 4-6 इवेंट्स</td><td>3 अंक</td></tr>
<tr><td>ख. 6 से अधिक इवेंट्स</td><td>5 अंक</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(iv)</td>
<td>एजेंसी को पिछले 5 वित्तीय वर्षों में से किसी भी तीन वर्षों के दौरान भारत के बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इवेन्ट में टर्नकी आधार पर पवेलियन के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव से संबंधित इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस से प्रति वर्ष न्यूनतम 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रुपये) का टर्नओवर अर्जित करना चाहिए। टर्नओवर केवल आवेदक संगठन के नाम पर होना चाहिए , न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर।
अंकों का विवरण नीचे दिया गया है:
<table>
<tr><td>क. 4-6 इवेंट्स</td><td>3 अंक</td></tr>
<tr><td>ख. 6 से अधिक इवेंट्स</td><td>5 अंक</td></tr>
</table>
</td>
<td>5</td>
</tr>
</table>

8.4 सभी प्रस्तुतियों पर मार्किंग की जाएगी। तकनीकी प्रस्तुतियों में न्यूनतम 70% अंक (70 में से 49 अंक) प्राप्त करने वाले विक्रेताओं को शोर्ट लिस्ट किया जाएगा और केवल उनकी वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। वित्तीय बोली अधिकतम 30 अंकों की होगी।

8.5 चयन गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) पद्धति पर किया जाएगा। क्यूसीबीएस पद्धति के तहत वित्तीय बोलियों पर अंकन निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार होगा:

एल1 = 30 अंक

एल2 = 30 एक्सएल 1 (एल1 द्वारा कोट की गई लागत)/एल2 (एल2 द्वारा कोट की गई लागत) और

एल3, एल4 आदि के समान (पक्षों की संख्या के आधार पर)।

8.6 वित्तीय बोलियों पर अंकों की गणना के बाद, तकनीकी प्रस्तुति और वित्तीय बोलियों के अंकों को जोड़ा जाएगा और उच्चतम कुल अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाता का चयन किया जाएगा।

8.7 चयन समिति अनुबंध/आदेश दिए जाने से पहले बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर कोई दायित्व डाले बिना किसी भी समय घोषणा वापस लेने, किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। **एपीडा कीमतों को कम करने या अधिक सुविधाएँ जोड़ने के लिए चयनित एजेंसियों के साथ कीमतों पर बातचीत करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।**

9. अपरिहार्य घटना:

यदि किसी भी समय, इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा, इसके तहत किसी भी दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य-निष्पादन, शत्रुता, या विरोध द्वारा, सार्वजनिक शत्रु के कार्य, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, राज्य या सांविधिक प्राधिकरण से निर्देश, एक्सप्लोज़न, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जैसा कि ठेकेदार के प्रतिष्ठानों और सुविधाओं तक सीमित नहीं है), आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं (इसके बाद घटना के रूप में संदर्भित), बशर्ते कि ऐसी किसी भी घटना के होने की सूचना उसके घटित होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे को दी जाती है, इस तरह की घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा, और न ही किसी भी पक्ष के पास इस प्रकार के गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य के विरुद्ध हानि के लिए ऐसा कोई दावा होगा, बशर्ते अनुबंध व्यावहारिक रूप से, ऐसी घटना के समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द फिर से शुरू हो जाए। अध्यक्ष, एपीडा का निर्णय कि क्या सेवा को फिर से शुरू किया जा सकता है (और समय सीमा जिसके भीतर सेवा फिर से शुरू की जा सकती है) अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते कि यदि कार्य-निष्पादन पूर्ण या आंशिक रूप से इस अनुबंध के तहत दायित्व को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी भी घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है, कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

10. विवाचन:

10.1 इससे उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामले भारतीय कानून द्वारा अधिशासित होंगे और केवल नई दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

10.2 किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों को सुलह प्रक्रिया के माध्यम से समाधान करने का हरसंभव प्रयास करना होगा।

10.3 इसके संबंध में अनसुलझे समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद या मतभेद की स्थिति में (मामलों को छोड़कर, निर्णय जो विशेष रूप से इस समझौते के तहत प्रदान किया गया है) इसे भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार अध्यक्ष , एपीडा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा और दिया गया निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

10.4 भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान दोनों पक्षों पर लागू होंगे। मध्यस्थतम कार्यवाही का स्थान एपीडा कार्यालय या अध्यक्ष, एपीडा द्वारा निर्धारित किया गया कोई अन्य स्थान होगा।। पूर्वोक्त किसी भी संदर्भ पर, कार्य हेतु कार्यवाही में लागत और आकस्मिक खर्चों का आकलन अध्यक्ष, एपीडा के विवेक पर होगा।

10.5 मध्यस्थतम को देय शुल्क का भुगतान दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से किया जाएगा। मध्यस्थतम कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी होगी।

11. क्षतिपूर्ति:

एजेंसी बीईडीएफ और उसके अधिकारियों कर्मचारियों को एजेंसी/, उसके उप ठेकेदारों , उपएजेंटों-, कर्मचारियों, आदि द्वारा उत्तरवर्ती अवधि से संबंधित अनुबंध के तहत उसके किसी भी दायित्व के उल्लंघन से उत्पन्न सभी कार्यवाही, कार्यों, हानियों, क्षतियों, व्ययों, लागतों और तीसरे पक्ष के दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति, बचाव और हानिरहित रखेगी, चाहे वह वित्तीय हो या अन्यथा, जिसमें ईपीएफओई/एसआईसी सांविधिक/स्थानीय निकायों/सरकारी विभागों/प्राधिकरणों आदि को देय योगदान के भुगतान के लिए देयता शामिल हैं, जिसका सामना बीईडीएफ को अनुबंध के निर्वाह के दौरान किसी भी समय करना पड सकता है।

12. बौद्धिक संपदा अधिकार:

12.1 एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआर के ऐसे किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग के कारण एपीडा किसी तीसरे पक्ष को होने वाले किसी भी नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

12.2 एजेंसी एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआरएस के किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग और/या उनके/उनके उप-एजेंटों/उप- संविदाकारों /कर्मचारियों आदि द्वारा किए गए किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी दावे के विरुद्ध एपीडा को क्षतिपूर्ति करेगी।

12.3 एपीडा ऐसे उल्लंघनों के लिए आवश्यक कानूनी और अन्य उपचारात्मक कार्रवाई करेगा, जो उचित समझी जाएगी।

13. अनुबंध प्रदान करने पर एजेंसी की जिम्मेदारी:

13.1 बोली मूल्य का 5% (पांच प्रतिशत) या 5 , 00,000/- (पांच लाख रुपये) जो भी अधिक हो , चयनित एजेंसी द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा जमा की जाएगी। चयनित एजेंसी से प्राप्त 5 , 00,000/- (पांच लाख रुपये) की ईएमडी राशि को कार्य-निष्पादन प्रतिभूति के लिए समायोजित किया जाएगा। यदि अनुबंध मूल्य का 5% 5.00 लाख रुपये से अधिक होता है, तो चयनित एजेंसी को कार्य सौंपने के तीन कार्य दिवसों के भीतर एपीडा के पक्ष में डीडी के रूप में पांच लाख रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। दोनों राशियों को एक साथ कार्य-निष्पादन प्रतिभूति के रूप में माना जाएगा।

13.2 सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने के बाद कार्य-निष्पादन प्रतिभूति की पूरी राशि वापस कर दी जाएगी।

13.3 भुगतान की शर्तें

13.3.1 व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर या कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के पक्ष में समान राशि की बैंक गारंटी के आधार पर कुल लागत का 30% तक अग्रिम भुगतान।

13.3.2 इवेंट के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के अनुसरण में कार्यक्रम के पूरा होने पर शेष राशि जारी की जाएगी।

13.3.3 भुगतान केवल कार्यक्षेत्र के अनुसार साइट पर किए गए वास्तविक कार्य के लिए जारी किया जाएगा जो आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकता है।

13.4 <u>अंतिम भुगतान करने के लिए पूर्व शर्तें (हार्ड कॉपी)</u>

13.4.1 एजेंसी को पवेलियन के अंतिम डिजाइन, पैनल/पोस्टर (सीडीआर प्रारूप में), प्रदर्शक निर्देशिका की सॉफ्ट कॉपी, एपीडा के लिए तैयार इवेंट रिपोर्ट (पीडीएफ प्रारूप) की सॉफ्ट कॉपी इवेंट पूरा होने के 10 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। इवेंट रिपोर्ट की 2 हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी। इसे एपीडा की संपत्ति माना जाएगा।

13.4.2 एपीडा पवेलियन की उच्च रिजोल्यूशन वाली फोटोग्राफी/वीडियो, जिसमें सभी दिनों के लिए पूरे इवेंट के विभिन्न एंगल्स से पूरे पवेलियन एरिया को कवर किया गया हो।

13.4.3 साथ ही, इवेंट के बाद शो के सभी दिनों का 3 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के लिए सबमिट करना होगा।

13.4.4 एजेंसी को दो फोटो एलबम जमा करने होंगे, जिसमें 5 इंच x 7 इंच आकार की कम से कम 160 (प्रत्येक दिन के लिए 40) तस्वीरें हों, जो प्रत्येक बूथ के साथ-साथ पवेलियन के अन्य क्षेत्र को कवर करती हों। इसे पेन ड्राइव में जमा किया जाना चाहिए।

13.4.5. भुगतान के समर्थन में बैंक स्टेटमेंट के साथ पवेलियन एरिया के लिए बिजली बिल प्रस्तुत करना।

13.4.6 प्रदर्शनी स्थल पर इवेंट की देखरेख के लिए नियुक्त एपीडा अधिकारी की संतोषजनक प्रदर्शन रिपोर्ट।

13.4.7 <u>यह पुन: कहा जाता है कि अतिरिक्त गतिविधियों के लिए एपीडा द्वारा अनुमोदित लागत को छोड़कर, किसी भी अतिरिक्त लागत पर विचार नहीं किया जाएगा।</u>

14. कार्य-निष्पादकता आश्वासन:

यदि एजेंसी की कार्य-निष्पादकता कसौटी पर खरा नहीं उतरता है या किसी भी प्रकार की कमी रह जाती है /कार्य–क्षेत्र में औसत दर्जे से कम आउटपुट दिया जाता है तो अंतिम भुगतान के समय एपीडा द्वारा कुल बोली मूल्य का एक हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम होगा।

15. प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश:

15.1 सशर्त बोलियां स्वीकार्य नहीं हैं और उन्हें यथाशीघ्र अस्वीकार कर दिया जाएगा।

15.2 तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण/बोली वापस लेने पर ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

15.3 बोलीदाताओं को बोली दस्तावेजों की तैयारी और एपीडा को प्रस्तुत करने से जुड़ी लागत वहन करनी होगी।

15.4 बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर एपीडा को प्रस्तुत करने से पहले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं। हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में प्राधिकरण पत्र अनुलग्नक-1 के साथ संलग्न किया जाएं।

15.5 <u>सभी लिफाफों पर बोलीदाता एजेंसी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हो , साथ ही लिफाफों पर पूरा पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल भी लिखा हो।</u>

15.6 प्रस्तुत बोली में किसी भी प्रकार का संशोधन या प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा। कोई भी आवेदक आवेदन जमा करने के बाद अपना आवेदन वापस ले सकता है, बशर्ते कि आवेदन जमा करने की समय सीमा समाप्त होने से पहले एपीडा को आवेदन वापसी की लिखित सूचना प्राप्त हो। यदि कोई आवेदक अपना आवेदन पुनः जमा करना चाहता है, तो उसे निर्धारित तिथि तक सभी लागू शर्तों का पालन करते हुए नया आवेदन जमा करना होगा।

15.7 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त बोलियों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा या उन्हें खोला नहीं जाएगा। ईमेल के माध्यम से प्राप्त बोलियों पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

15.8 **विधिवत पूर्ण बोलियां निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार चार लिफाफों में प्रस्तुत की जाएंगी:**

लिफाफा I: इस लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे:

(i) आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क के रूप में नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में जीएसटी सहित 17,700/- रुपये (सत्रह हजार सात सौ मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट।

(ii) ब्याज मुक्त बयाना राशि जमा (ईएमडी) के रूप में नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में 5,00,000/- रुपये (पाँच लाख रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट।

लिफाफा मुहरबंद होना चाहिए और उस पर "नैचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट 2025 के लिए आवेदन-सह-प्रसंस्करण शुल्क और ईएमडी" अंकित हो।

लिफाफा -II: लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे:

(i) अनुलग्नक 1 (विधिवत भरा हुआ) और इसके साथ संलग्न सहायक दस्तावेज।
(ii) अनुलग्नक -2 (सीए प्रमाणपत्र)
(iii) अनुलग्नक -3 (कोई ब्लैक लिस्टेड घोषणा नहीं)

इस लिफाफे को मुहरबंद किया जाना चाहिए और उस पर "नैचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट 2025 " में एपीडा पवेलियन के डिजाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव के लिए तकनीकी बोली लिखा हो।

लिफाफा III: इस लिफाफे में निम्न होगा

(i) अनुलग्नक 4 (वित्तीय बोली)

(ii) अनुलग्नक 5 (वैकल्पिक मदों के लिए कोटेशन)

इस लिफाफे को मुहरबंद किया जाना चाहिए और उस पर "नैचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट 2025 " में एपीडा पवेलियन के डिजाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव के लिए वित्तीय बोली" लिखा हो।

लिफाफा IV: मास्टर लिफाफा: लिफाफे I, II और III को लिफाफा-IV के अंदर रखा जाएगा और फिर से मुहरबंद कर दिया जाना चाहिए। इस मास्टर लिफाफे पर निम्न लिखा हो:

"नैचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट 2025 " में एपीडा पवेलियन के डिजाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव हेतु बोली" और इसे निम्नलिखित पते पर जमा किया जाए:

सचिव
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
तीसरी-चौथी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली - 110 016

15.9 यदि बोलीदाता को किसी स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो तो कृपया संपर्क करें:

सुश्री मीना सिंह, सहायक महाप्रबंधक
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110 016
फोन: 91-11-41486013 /20863919 /20867008 /20867007
मेल: meenasingh@apeda.gov.in

बोली-पूर्व बैठक 22 जनवरी 2025 (बुधवार) को दोपहर 14:30 बजे एपीडा मुख्यालय, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की जाएगी।

बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 (शुक्रवार) (2:00 बजे तक) है।

*किसी भी भ्रांति की स्थिति में अंग्रेजी को वरीयता दी जाएगी।

Annexure-1

TECHNICALBIDforDesign,ConstructionandMaintenanceof "INDIA PAVILION" at "Natural Product Expo West-2025

Details of Bidder Agency

S.No.	Particulars	Details	Pageno.
1	NameofAgency		
2	Addressasper GST Registration (pleaseattachdocuments)		
3	Name, designation and contact details of authorizedsignatoryincludingemailidand contact no. (PleaseattachAuthorizationLetter)		
4	DetailsofRegistration/AOA&MOA (PleaseAttachcopy)		
5	GSTCertificateofBidderAgency (PleaseAttachcopy)		
6	PanCardofBidder Agency (PleaseAttachcopy)		
7	DetailedProfileoftheAgencyincludingthe staff strength on its payroll		
8	Details of Demand Draft for Non- Refundable Application cum Processing FeeofRs.17,700/-(RupeesSeventeen ThousandSevenHundred)		
9	Details of Demand Draft for Interest-free Earnest Money Deposit "EMD" for Rs.5,00,000/-(RupeesFiveLakh)in favourofAPEDA,NewDelhi.		
10	"Certificate for exemptionfrom submission of EMD (Pleaseattachaself-certifiedcopy)		
11	CACertificate (PleaseAttachdulyfilledinAnnexure-2)		
12	Declaration that the agency has not been blacklisted by any Government organization. (PleaseAttachdulyfilledinAnnexure-3)		

13	**ExperienceDetails** (Please attach copies of Work Orders for execution of at least three international trade events for Design, Construction and Maintenance of Pavilion(s) on turnkey basis, conducted outside India where (a) the area of pavilion should not have been less than 75 sq. mtrs for each event and (b) thefinancialvalueofeachsucheventshould be not less than Rs. 20.00 Lakhs (Rs. Twenty Lakh).	Year	Work Orders	
		2019-20		
		2020-21		
		2021-22		
		2022-23		
		2023-24		
14	**TurnoverDetails** MinimumturnoverRs.3,00,00,000/- (Rs. Three Crores) per year from Design, Construction and Maintenance of Pavilions on turnkey basis, in International Trade events conducted outside India during any of the three years out of the last 5 financial years. (PleaseattachCAcertificate:Annexure-2)	Year	Turnover	
		2019-20		
		2020-21		
		2021-22		
		2022-23		
		2023-24		

ListofEnclosures:

Declaration

Iherebydeclareandconfirmthatall theinformationprovidedaboveistrueandnothinghas been concealed.
Iagreeto abide bythetermsandconditionsmentionedinthebiddocument.
Iunderstandthatifatanytime,Iamfoundtohaveconcealed/distortedanymaterialinformation or done any act or omission against the interest of APEDA, my contract shall be summarily terminated without any notice to me.
Iamauthorisedtosignallthedocumentsonbehalfofthefirm/agency.

SignatureofAuthorizedSignatory

(NameofAuthorizedSignatory)

Designation
E-mail ID:
ContactNo.:

Sealofthe agency

Date:

Annexure-2

C.A.CERTIFICATE

I /We, Proprietor / Partner / Director of ________________________(Name of CA Firm) do herebyconfirmthatM/s.____ (Bidder), a Proprietorship/Partnership/Companyhavingitsregisteredofficeat ____, having PAN No. ______________________ andGSTNo.____________________________________ which is valid from______________________(copy attached) and hereby declare and affirm as under:

(1) Thatthe businessentityisinexistenceinthepresent status from............................ (date).

(2) That the details of the turnover from **International Events executed Outside India** (on the basis of the financial statements of the entity) are as follows:

S. No.	Financial Year	No. of international events executed	Name of the Event,Placeand Country	NameofHosting Organization	Turnover (in Rs.)
1	**2019-20**				
2	**2020-21**				
3	**2021-22**				
4	**2022-23**				
5	**2023-24**				

(3).Thattheaboveworkwasobtainedintheentity'sownnameandthebilling /paymentwascollectedintheentity'sownbank account.

Declaration

Ihaveindependentlyverifiedtheabove-mentioneddetailswithbooksofaccounts, 26AS statements, GST Returns and found them to be true and correct

Counter-signed:

SignatureofAuthorized Signatory
Name and Designation
Proprietor/Partner/Director

CompanySeal

Signature:

Nameanddesignation

SealofCAfirm
UDIN

ANNEXURE-3

(TobeprovidedontheLetterHeadofthe Agency)

TECHNICALBIDforDesign,ConstructionandMaintenanceof "INDIA PAVILION" at "Natural Product Expo West-2025"

To

TheSecretary, APEDA,
NewDelhi-110016

Subject:DeclarationfornotbeingBlack-Listed

Sir,

Withreferencetothebidon the subject citedabove, I, ……(Name and designationof the Signatory) hereby declare and confirmthat M/s. … (Name of the Agency) has not been black-listed or declared as ineligible by the Central Government/ State Government / Public Sector Undertaking from participating in future bids due to unsatisfactory performance, corrupt, fraudulent or any unethical business practices or any other reasons, as on the date of submission of the bid.

SignatureofAuthorisedSignatory

NameandDesignation

CompanySeal

Date:

Place:

Annexure-4

FINANCIAL BID for Design, Construction and Maintenance of 'APEDAPAVILION'at"NaturalProductExpoWest-2025"

To,

The Secretary,
APEDA,NewDelhi.

Sir,

We, M/s. (Name of the firm) offer to undertake **"Design, Construction and Maintenance of 'APEDA PAVILION' at "Natural Product Expo West-2025" scheduled from 04th to 07th March 2025 "** in accordance with the bid notice. Our Financial Bid against the Scope of Work is submitted hereunder

Sr. No.	Activity/Component	Amount inRs.
1	Design,ConstructionandFurnishingof**Theme/Common Area**coveringdetailsmentionedinclause**5.2**ofBid Notice	
2	Design,ConstructionandFurnishingof**ExhibitorStalls** coveringdetailsmentionedinclause**5.3**ofBidNotice	
3	Specificationof**WetSampling**asperclause5.4ofBid Notice	
4	**APEDA/ India Organic Branding** as per clause **5.5** of Bid Notice	
5	**Otheractivities**asper clause**5.6** ofBidNotice	
6	**Sub-Totalof(1)–(4)above**	
7	**AmountofApplicabletaxes**	
8	**TotalAmount(withtaxes)**	

TotalAmountinwords:Rupees….

SignatureofAuthorisedSignatory

(NameofAuthorizedSignatory)
Designationwithsealof theagency

Date:

Annexure–5

BidforDesign,ConstructionandMaintenanceof “INDIAPAVILION”at“NaturalProductExpoWest-2025

QuotationforOptional ItemsifRequiredbyExporterforAPEDAPavilion (Note: - This quotation is not part of the Financial Bid.)

S.No.	Item	Unit	PriceinRs.
1.	Shelves	Perunit	
2.	Showcase(GlassCounter)	Perunit	
3.	Table	Perunit	
4.	Chair	Perunit	
5.	Spotlights	Perunit	
6.	LockableCounter	Perunit	
7.	Refrigerator	Perunit	
8.	Microwave	Perunit	
9.	Hot case	Perunit	
10.	LEDwithstand(minimum50inch)	Perunit	
11.	MagazineRack	Perunit	
12.	CenterTable	Perunit	
13.	Sofawith(3-Seater)	Perunit	
14.	Sofawith(2-Seater)	Perunit	

Date: **SignatureofAuthorizedRepresentative**

NameandDesignation

CompanySeal